

10-11-2024 आज यह पन्नावली प्रशासन गांवों के  
संग अभियान - 2024 के तहत ग्राम पंचायत  
चारावास में आयोजित शिविर में पेश  
हुई। अर्धी रामेश्वर स्वयं ने उपस्थित  
होकर अर्धीना पत्र पेश कर अर्धीना  
पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को अर्धी नहीं  
चलाना चाहिए कर विज्ञा करने की  
अनुमति चाही है। अर्धी की पहचान  
सरपंच ग्राम पंचायत चारावास डाय  
की गई। अर्धी का अर्धीना पत्र स्वीकार  
कर अर्धीना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा  
विज्ञा करने की अनुमति प्रदान की  
जाती है। पन्नावली कार्यालय इसी स्तर  
पर डाय की जाती है। पन्नावली कंसल  
सुमाए व दर्ज मय्याए से कम होकर  
दाखिल करनी है।

उपजम्ह अधिकारी, जेतकी